FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मूल सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

मुकदमा दावा नं. 12 सन् 2019

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-11-19 को पेश हो। [illegible]	
19-11-19	इजाजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश [illegible] उपस्थित/पीठासीन [illegible] दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/[illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-1-20 को पेश हो। [illegible]	
07/01/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। वास्ते आदेश निर्णय दिनांक 16-1-20 को पेश हो। [illegible]	
16-1-20	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी मूल सिंह पुत्र मालसिंह जाती राजपूत ने एक दावा प्रस्तुत किया। एव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरयामकाबास में खसरा न. 600 रकबा 3.82 है. सह खातेदार के रूप मे वादी के दादा का	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूल सिंह बनाम तहसीलदार तह.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. - 12/19
	नाम पाबूदान सिंह पुत्र श्री डूंगसिंह के दर्ज है जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति न होकर पाबूदान सिंह पुत्र सगर सिंह ही असली नाम है यह त्रुटी जमाबंदी संवत 2031 से 2034 मे नामान्तकरण संख्या 170 के द्वारा गलत नाम दर्ज करने से चली आ रही है इस कारण वादी को कई कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है अत: वादी के दादा का सही नाम दस्तावेजो में पाबूदान सिंह पुत्र सगर सिंह किया जावे। पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार की रिपोर्ट क्र-भू.अ/2019/1791 दिनांक 10-7-19, ग्राम पं हरदास का बास की सरपंच रिपोर्ट दिनांक 6-3-17 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27-9-98 के अनुसार वादी के दादा का सही नाम पाबूदान सिंह पुत्र सगर सिंह घोषित कराने का वह अधिकारी है अत: दस्तावेजो से वाद पत्र मे अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। ~~अत:~~
	अत: वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की ग्राम हरदास का बास के कृषि भूमि खसरा नं. 600 रकबा 8.82 हैक्टर के 1/4 हिस्से मे सहखातेदार के रुप मे अंकित नाम पाबूदान सिंह पुत्र डूंगसिंह के स्थान पर पाबूदान सिंह पुत्र सगर सिंह घोषित किया जाता जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो डिक्री पर्चा जारी हो।
	(हस्ताक्षर) (अंकित मीना)

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मूल सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

मुकदमा दावा नं. 12 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	यह आदेश आज दिनांक 16-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 16/01/2020 (ललित मीना) RAS सहायक कलक्टर कार्स्ट्रेक श्रीमाधोपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lalit Meena
Date: 2020.03.11 12:12:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: